SHRI LAL BAHADUR SHASTRI DEGREE COLLEGE, GONDA

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा

AN AFFILIATED COLLEGE OF DR RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA,(U.P)

कला संकाय

स्नातक स्तर (बी0ए0) त्रिवर्षीय

कॉलेज में कला संकाय (स्नातक स्तर) में पढ़ाये जाने वाले समस्त विषयों को तीन समूहों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को स्नातक स्तर पर (प्रथम व द्वितीय वर्ष में) तीन विषय लेना है। इस हेतु समूह "अ" या समूह "ब" या समूह "स" में ये एक–एक अथवा समूह "अ" या समूह "ब" या समूह "स" में से किन्हीं दो विषयों का चयन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकता है कि कुल विषयों की संख्या तीन रहे।

"अ" प्रायोगिक विषय	"ब" साहित्यिक विषय	"स" सामाजिक विज्ञान विषय
1. मनोविज्ञान 2. भूगोल 3. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी	1. शिक्षाशास्त्र 2. समाजशास्त्र 3. राजनीति शास्त्र 4. अर्थशास्त्र 5. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

नोट :–

1. **भूगोल विषय वे अभ्यर्थी ही ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में भूगोल पढ़ा हो अथवा कृषि या विज्ञान विषयों के साथ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो। भूगोल व मनोविज्ञान विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं।**
2. **एक समूह में से तीनों विषय नहीं चुने जा सकते।**
3. **बी0ए0 भाग एक में चयनित तीनों विषयों का अध्ययन बी0ए0 भाग दो में भी करना होगा तथा इन्हीं तीनों विषयों में से किन्हीं दो का अध्ययन बी0ए0 भाग तीन में करना होगा।**
4. **किसी विषय में छात्रों की संख्या उस विषय में उपलब्ध अध्यापकों की संख्या पर निर्भर होगी। छात्र संख्या अधिक होने की दशा में वह विषय कुछ छात्रों को नहीं भी दिया जा सकता है।**
5. **प्राथमिक अध्यापक बनने के लिए किन्हीं दो साहित्यिक विषयों या किन्हीं दो सामाजिक विषयों का चयन करना उपयुक्त होगा।**
6. **तीन साहित्यिक विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता है।**

परास्नातक स्तर (एम0ए0) द्विवर्षीय

1. अर्थशास्त्र	2. राजनीति शास्त्र	3. हिन्दी साहित्य
4. अंग्रेजी साहित्य	5. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	6. भूगोल (स्व0वि0पो0)
7. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन (स्व0वि0पो0)	8. मनोविज्ञान (स्व0वि0पो0)	9. समाजशास्त्र (स्व0वि0पो0)

नोट :– स्व0वि0पो0 का आशय स्व वित्त पोषित से है।

विज्ञान संकाय

स्नातक स्तर (बी0एस–सी0) त्रिवर्षीय

1. गणित	2. रसायन विज्ञान	3. भौतिक विज्ञान
4. प्राणि विज्ञान	5. वनस्पति विज्ञान	

नोट :– बी0एस–सी0 प्रथम व द्वितीय वर्ष में तीन विषय निम्न समूह में पढ़े जा सकते हैं तथा बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष में इन्हीं तीन विषयों में से किन्हीं दो का अध्ययन करना होगाः–

1. गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान
2. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान तथा रसायन विज्ञान
3. गणित, भौतिक विज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
4. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन

परास्नातक स्तर (एम0एस–सी0) द्विवर्षीय

1. भौतिक विज्ञान (स्व0वि0पो0)	2. रसायन विज्ञान (स्व0वि0पो0)	3. गणित (स्व0वि0पो0)

वाणिज्य संकाय

1. **स्नातक स्तर (बी0कॉम0) त्रिवर्षीय**
2. **परास्नातक स्तर (एम0कॉम0) द्विवर्षीय (स्व0वि0पो0)**

नोट :– एम0काम0 पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु अर्हता वाणिज्य में स्नातक उपाधि है।

शिक्षा संकाय

1. **स्नातक स्तर (बी0एड0) द्विवर्षीय**

बी0एड0 में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

(अनिवार्य विषय) स्नातक स्तर पर –

कॉलेज में बी0ए0, बी0काम0, बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं को 'राष्ट्र गौरव' विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

जो छात्र छात्र/छात्रा बी0ए0, बी0काम0, बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष में 'राष्ट्र गौरव' विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएं, वे इसकी परीक्षा तृतीय वर्ष में दे सकेगें। जो छात्र/छात्रा इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे। उन्हें विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रवेश हेतु नियम

1. **सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार UIN (Unique Identification**

Number) प्राप्त करने के पश्चात् कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर प्रवेश हेतु समस्त वांछित सूचनायें भरने के बाद प्रिंटआउट प्राप्त करें और उसे समस्त संलग्नकों के साथ कॉलेज में जमा करें।

2. बी0ए0, बी0काम0, बी0एस–सी0 भाग एक एवं एम0ए0, एम0काम0, एम0एस–सी0 पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में समस्त प्रवेश पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों, भारांकों, आरक्षण नियमों व कटौती के आधार पर बनायी गई मेरिट से होंगे।
3. बी0ए0, बी0काम0, बी0एस–सी0 भाग दो व तीन तथा परास्नातक उत्तरार्द्ध में वही अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे, जिन्होंने 2020 में इस कॉलेज के संस्थागत छात्र के रूप में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. स्नातक प्रथम वर्ष में उन्हीं छात्रों का प्रवेश हो सकेगा, जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वर्ष 2017 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो तथा परास्नातक पूर्वार्द्ध में उन्हीं छात्रों का प्रवेश हो सकेगा जिन्होंने स्नातक परीक्षा 2017 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो। मेरिट सूची बनाते समय अन्तराल के वर्षों हेतु एक वर्ष के अन्तराल पर 5%, दो वर्ष के अन्तराल पर 8% तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10% प्राप्तांकों की कटौती की जायेगी।
5. परास्नातक पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में प्रवेश हेतु यह आवश्यक है कि छात्र/छात्रा ने जिन दो विषयों का चयन स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में किया है, उन्हीं में से किसी एक विषय में उसका प्रवेश सम्भव होगा।
6. प्रवेश अध्यापकों व छात्रों के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जायेगा। अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या निम्नवत हैः–

(A) **स्नातक – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय** – डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा निम्नवत् सीटें निर्धारित की गयी हैं–

बी0ए0 भाग एक के 2 सेक्शन होंगे। जिसके प्रत्येक सेक्शन में छात्र संख्या 660 होगी। बी0एस–सी0 (गणित) 180, बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान) 180, बी0काम0 300 सीट निर्धारित हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों में महाविद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की वृद्धि सम्भव नहीं है।

(B) **स्नातकोत्तर** – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय – जिनमें प्रायोगिक पाठ्यक्रम न हो, अधिकतम 60 (कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या के साथ)

(C) **स्नातकोत्तर** – कला संकाय (प्रायोगिक विषयों में) – एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या अधिकतम 40 (कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या के साथ)

(D) **स्नातकोत्तर** – विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान) – एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या अधिकतम 40 (कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या के साथ)

(E) **स्नातकोत्तर** – विज्ञान संकाय (भौतिक विज्ञान) – एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या अधिकतम 30 (कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या के साथ)

नोट : सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज में प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या (सीटों) का निर्धारण किया जा रहा है। इस सत्र के लिए निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश सम्भव हो सकेगा।

7. 1994 एवं इसके पश्चात्वर्ती शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण प्राप्त होगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गई हो। इस हेतु वही प्रमाणपत्र मान्य होगा जो सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो तथा जिसकी पंजीयन संख्या प्रमाणपत्र पर अंकित हो। मूल प्रमाणपत्र को प्रवेश के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

   इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आरक्षण क्षैतिज रूप से देय होंगेः–

1. शारीरिक रूप विकलांगों के लिए	03%

2.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र / अविवाहित पुत्री / पौत्र / प्रपौत्र / अविवाहित प्रपौत्री) के लिए	02%
3. 4.	केवल भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी युद्ध में शहीद / अपंग रक्षाकर्मी के पाल्य	02%
5.	कारगिल में शहीद / विकलांग सैनिकों के आश्रितों के लिए	01%
6.	कश्मीर के विस्थापितों के लिए	01%

8. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के अन्तर्गत आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार होगा। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं घोषणा पत्र के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी से प्राप्त परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाणपत्र की फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

9. प्रवेश में खेलकूद, स्काउट्स / गाइड्स, रोवर / रेंजर कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड क्रास इत्यादि के लिए भारांक निम्न प्रकार दिये जायेंगेः–

अ) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर–विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता–

- क) इन्डिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम आने पर 03%
- ख) इन्डिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय आने पर 02%
- ग) इन्डिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा तृतीय आने पर 01%

ब) एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 इत्यादि के लिए–

- क) एन0सी0सी0 सी प्रमाणपत्र पाने वाले तथा जी 2 प्रमाणपत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 03%
- ख) एन0सी0सी0 बी प्रमाणपत्र पाने वाले तथा जी 1 प्रमाणपत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 02%
- ग) एन0सी0सी0 ए प्रमाणपत्र या एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को 01%
- घ) एन0एस0एस0 के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा तथा दो कैम्प में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 03%
- ड.) एन0एस0एस0 के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा तथा एक कैम्प में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 02%
- च) एन0एस0एस0 के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 01%
- छ) स्काउट / गाइड्स, रोवर्स / रेंजर्स के राष्ट्रीय / राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 03%
- ज) स्काउट / गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी एवं रोवर्स / रेंजर्स के निपुण प्रमाणपत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 02%
- झ) स्काउट / गाइड्स के द्वितीय / तृतीय सोपान, ध्रुवपद या गुरूपद, रोवर्स / रेंजर्स के प्रवीण प्रमाणपत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 01%
- ञ) रेड क्रास के एम0एफ0ए0 / एम0एच0एन0 प्रमाणपत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 3%
- ट) रेड क्रास के वी0एफ0ए0 / वी0एच0एन0 प्रमाणपत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 2%
- ठ) रेड क्रास के एस0एफ0ए0 / एस0एच0एन0 प्रमाणपत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 1%

(बिन्दु 9 के प्रतिशतों के साथ "**प्राप्तांकों के अधिकतम योग का**" शब्द पढ़े जायेंगे।)

(अधिकतम भारांक योग्यता सूची में कुल प्राप्तांकों के अधिकतम योग के 06% से अधिक नहीं होगा)

10. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए (पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी एवं पति होंगे) क्रमशः 05% एवं 05% स्थान सुरक्षित होंगे। इन पर प्रवेश ऐसे सभी आवेदकों की मेरिट सूची बनाकर किया जायेगा।

11. परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए इस कॉलेज के संस्थागत स्नातकों को स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों का 05% भारांक दिया जायेगा।
12. **बैक पेपर की सुविधा बी0ए0, बी0एस–सी0 एवं बी0काम0 के छात्रों को एक विषय/ग्रुप में, बी0एड0 एवं परास्नातक के छात्रों को एक प्रश्न पत्र में मिलेगी।**
    विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार ही छात्रों की बैक पेपर परीक्षा होगी तथा बैक पेपर की परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्रों के कॉलेज में प्रवेश भी विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार ही किये जायेंगे।
13. स्नातक भाग दो एवं भाग तीन की कक्षाओं में ऐसे छात्र, जिनका परीक्षाफल विलम्ब से घोषित किया गया है, उनका प्रवेश प्राचार्य/परीक्षा नियंत्रक द्वारा अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर हो सकता है।
14. प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये प्रवेश देने से मना कर सकते हैं।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध अपने कॉलेज के प्रांगण में अथवा उसके बाहर किसी प्रकार के लड़ाई–झगड़े व दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध करने अथवा जिनके विरूद्ध कॉलेज के प्राचार्य या किसी प्राध्यापक एवं किसी कर्मचारी के प्रति अभद्र व्यवहार करने की शिकायत हो या सही प्रतीत होने वाला कोई आरोप लगाया गया हो, का प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
16. ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली कक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गये हों उनका प्रवेश कॉलेज में सम्भव न होगा, परन्तु अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किये जाने की दशा में सम्बन्धित कक्षा में स्थान उपलब्ध होने पर प्राचार्य प्रवेश के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं।
17. (A) **पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पुनः उसी कक्षा में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश सम्भव न होगा।**
    (B) **ऐसे छात्र/छात्रा जो किन्हीं कारणों वश परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों अर्थात ड्राप किया हो, उनका प्रवेश पुनः उसी कक्षा में सम्भव न होगा।**
    (C) यदि किसी छात्र/छात्रा ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक भाग एक/परास्नातक पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका प्रवेश संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में स्नातक भाग दो/परास्नातक उत्तरार्द्ध में सम्भव न होगा।
    (D) प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्नातक परीक्षा 6 वर्ष में तथा परास्नातक परीक्षा 4 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है।
18. स्नातक परीक्षा जिसने एक बार उत्तीर्ण कर ली है, उसका प्रवेश संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में स्नातक कक्षा में नहीं होगा। इसी प्रकार परास्नातक परीक्षा जिसने एक बार उत्तीर्ण कर ली है उसका प्रवेश संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में परास्नातक कक्षा में नहीं होगा।
19. प्राचार्य प्रवेश हेतु अपने स्तर से अन्य नियम बना सकते हैं जो विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमों के प्रतिकूल न हों।
20. ऐसे अभ्यर्थी जिन पर कॉलेज का पिछला शुल्क या अन्य कोई देय राशि बकाया हो या जो किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, उनका प्रवेश सम्भव न होगा। इण्टरमीडिएट कृषि से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश बी0एस–सी0 में नहीं हो सकेगा।
21. **जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश निषेध उपर्युक्त नियमों में किया गया है, वे आवेदन पत्र प्रेषित न करें। यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तो सही जानकारी प्राप्त होते ही उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बदले में उसको किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी तथा उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।**

प्रवेश विधि –

स्नातक भाग एक तथा परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो योग्यता सूची (मेरिट) में आयेंगे। योग्यता सूची (मेरिट) कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

योग्यता सूची में शामिल अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में प्रवेश ले लें। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संलग्न छाया प्रतियों की मूल प्रतियां भी प्रवेश समिति के समक्ष प्रदर्शित करनी होंगी। सामान्यतः अभ्यर्थियों को निम्न प्रपत्र प्रवेश के लिए लाने होंगे–

1. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाणपत्र तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु उक्त के अतिरिक्त स्नातक के सभी वर्षों के अंक पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति व आय प्रमाणपत्र (यदि अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा करता है)।
3. अन्तिम संस्था का चरित्र प्रमाणपत्र।
4. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र।
5. भारांक के दावे की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्र।
6. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के अन्तर्गत आरक्षण के पात्र अभ्यर्थी स्वयं घोषणापत्र व सक्षम अधिकारी से प्राप्त परिवार की परिसम्पत्ति का प्रमाणपत्र।
7. यदि इण्टरमीडिएट/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्तराल है तो उस अवधि में इस कॉलेज में प्रवेश न लेने, नियमावली एवं निर्देशिका के अनुसार प्रवेश निषेध न होने तथा उसके सच्चरित्र रहने का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
8. परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्रवजन प्रमाणपत्र।
9. जिन अभ्यर्थियों ने पिछली अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है, उन्हें अपने क्षेत्र के SDM या Dy SP या किसी प्राचार्य द्वारा दिया गया ऐसा चरित्र प्रमाणपत्र जो 3 माह से पूर्व का न हो।

   स्नातक भाग दो व तीन तथा परास्नातक उत्तरार्द्ध में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर प्रवेश हेतु वांछित समस्त सूचनायें (डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार UIN (Unique Identification Number) सहित) भरने के पश्चात प्रिंटआउट प्राप्त कर वांछित संलग्नकों सहित सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष निम्न मूल प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा–

   क) गत वर्ष का अंक पत्र

   ख) स्थानान्तरण व चरित्र प्रमाणपत्र (यदि योग्यता प्रदायी परीक्षा अन्य संस्था से उत्तीर्ण की है)

   ग) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना जाति व आय प्रमाणपत्र।

   यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से इस कॉलेज में स्थानान्तरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुलपति/कुलसचिव, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।